

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकमात्र (खेड़की केवल) आवासीय तृतीयनर्ष

नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 883 दिनांक 03/02/2021

प्रार्थी (श्रीमती) सुनेता गुप्ता जी (श्री) शिव गुप्ता

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

जीम

आवासीय

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7374/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/1627, 1628

दिनांक 03/02/2021 को जमा करा दी है ।

P.No: 23/100 चौपाल्मी

हाडीसिंग बडि

3/2/2021

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

(Ritesh Gupta)
HUSBAND
9414145898